GST Update on decisions taken on Returns in GST Council meeting

GST काउंसिल की मीटिंग में जीएसटी रिटर्न के संदर्भ में काफी सारे decisions लिए गए हैं उन पर चर्चा हम इस GST अपडेट में कर रहे हैं:-

1. पुराने GSTR-3B व GSTR-1 रिटर्न वाला सिस्टम 30.09.2020 तक लागू रहेगा. नया रिटर्न सिस्टम ANX1, ANX2 तथा RET-1का रिटर्न अब 01.10. 2020 से लागू होगा. इस रिटर्न को साल के मध्य में लागू करना टैक्स पेयर और कंसलटेंट के लिए बहुत ही मुश्किल होगा.अतः यह सुझाव है कि यह 01.04.2021 से ही लागू होना चाहिए. इसमें यह बताना भी आवश्यक है कि यह एक्सटेंशन ट्रेड और इंडस्ट्री की डिमांड पर नहीं किया गया है. अपितु इंफोसिस के नंदन नीलेकणी ने बताया कि नए रिटर्न के लिए पोर्टल तैयार नहीं है और इसमें समय लगेगा.इस बेसिस पर यह नए रिटर्न लागू करने को स्थगित किया गया है.

2. श्री नंदन नीलेकणी ने जीएसटी काउंसिल को बताया कि नए रिटर्न अच्छी तरह से लागू करने के लिए नए रिटर्न सिस्टम को incremental manner से लागू किया जाना चाहिए. उन ने बताया कि इसकी शुरुआत GSTR-1 और GSTR-3B को Link करके की जा सकती है. बाद में GSTR-3B को GSTR-2A से भी Link करना पड़ेगा. GSTR-1और 3B को Link किया जा सकता है. क्योंकि उसमें Outward सप्लाई की डिटेल आती हैं. पर GSTR-3B और 2A को Link करना मुश्किल है क्योंकि GSTR-2A में बिल की डिटेल आती है पर 3B में Consolidated डिटेल

जाते हैं. अतः यह देखना होगा कि यह किस तरह से लिंक होते हैं?

3. 100 करोड़ के Turnover से ऊपर वाली कंपनी पर E-invoice बनाना 01.04.2020 से लागू हो रहा था. परंतु अब यह 01.10.2020 से लागू होगा. इसमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से बनी हुई इनवॉइस की Json फाइल पोर्टल पर अपलोड करनी पड़ेगी. वह पोर्टल रियल टाइम बेसिस पर एक ARN नंबर आर QR कोड जनरेट करेगा. इस इनवॉइस को पोर्टल सप्लाई करने वाले के जीएसटी रिटर्न में तथा buyer के रिटर्न में भी अपलोड कर देगा इसमें ई वे बिल बिल generate हो जाएगा. इसी तरह से यह डिटेल buyer के पास भी चली जाएगी. इससे लागू होने वाले सिस्टम में दोबारा डाटा एंट्री करने की जरूरत नहीं रहती है. पर यह नया सिस्टम अभी लागू नहीं हो रहा है. Government ने उसको 01.10.2020 से लागू करने का फैसला किया है.

4. सर्विस एसएससी को भी Composition scheme दे दी गई थी. यह नोटिफिकेशन 2/2019 से लागू की गई थी. पर उन्हें GSTR-1 रिटर्न भरने से छूट नहीं दी गई थी. अब इससे छूट भी दी जा रही है. Composition वालों को GSTR-1 भरने की वैसे भी जरुरत नहीं होती है.

5. यह भी बताया गया है कि श्री नंदन नीलेकणी ने एक नया सिस्टम भी GST काउंसिल में बताया. जिसमें उन्हें यह बताया कि tax payers को किसी भी तरह का रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है. यह एक नया प्रयोग होगा. पर इसकी डिटेल बाहर नहीं आई है. इस अपडेट के लेखक को डिपार्टमेंट में वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है. परंतु ज्यादा विस्तार से इस बारे में नहीं बताया गया है. साथ में इस बारे में कोई चर्चा प्रेस रिलीज में नहीं की गई है सिर्फ कुछ websites मैं इस बारे में खबर आई है.

6. इसी तरह से CNBC पर एक न्यूज़ चर्चा में आई थी कि सिर्फ B2C सप्लाई करने वाले को GSTR-1 भरने की जरूरत नहीं होगी. पर B2B और Export करने वालों को यह भरना होगा. वैसे देखा जाए तो GSTR-1 दर्शाने से credit पास on होता है. पर सिर्फ B2C सप्लाई करने वालों को कोई credit पास on नहीं करना होता है. अतः यह समझदारी से लिया गया महत्वपूर्ण कदम है. पर इससे संबंधित कोई भी विवरण प्रेस रिलीज में नहीं दिया गया है.

This is solely for educational purpose.

You can reach us at www.capradeepjain.com, at our facebook page on https://www.facebook.com/GSTTODAYBYPRADEEPJAIN/ as well as follow us on twitter at https://www.twitter.com/@capradeepjain21